फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर (शाहपुरा)

सुरजमल पिता रामकरण मीणा नि. टींकड तहसील जहाजपुर

बनाम

तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 406 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
27/5/24	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1075/8 कुल किता 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थी है। अप्रार्थी से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1075/8 कुल किता 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर की उभयपक्षो की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500= रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 27.5.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर (शाहपुरा)**	

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक / रीडर / 2024 /406/ 2024 दिनांक :– 27-05-2024

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 406 /2024 अनवान सुरजमल पिता रामकरण मीणा नि. टीकड बनाम तहसीलदार तहसील कार्यालय जहाजपुर जिला शाहपुरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम टीकड ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1075/8 कुल किता 1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner